रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102022-239441
CG-DL-E-07102022-239441

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 684]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 7, 2022/आश्विन 15, 1944
No. 684]	NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 7, 2022/ASVINA 15, 1944

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2022

सा.का.नि. 770(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड(5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 8 में,-

(i) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) (क) राष्ट्रपति, किसी ऐसे पेंशनभोगी के मामले में जो उस पद से सेवानिवृत्त हुआ जिसके लिए राष्ट्रपति नियुक्ति प्राधिकारी है;

(ख) प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के सचिव, किसी ऐसे पेंशनभोगी के मामले में जो उस पद से सेवानिवृत्त हुआ जिसके लिए राष्ट्रपति के अधीनस्थ प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी है; तथा

(ग) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, किसी ऐसे पेंशनभोगी के मामले में जो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग से सेवानिवृत्त हुआ जिसके लिए राष्ट्रपति के अधीनस्थ प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी है;

Generated from eOffice by RAMESH CHANDRA SETHI, DoPPW-DS-(RCS), DEPUTY SECRETARY, PPW on 11/10/2022 03:40 PM

लिखित रूप में आदेश द्वारा, पेंशन या उपदान को, या दोनों को, पूर्णतः या अंशतः रोकने, या पेंशन को पूर्णतः या अंशतः, स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रत्याहृत करने तथा सरकार को कारित किसी धन संबंधी हानि को पूर्णतः या अंशतः पेंशन या उपदान में से वसूल करने का आदेश, यदि किसी विभागीय कार्यवाहियों या न्यायिक कार्यवाहियों में पेंशनभोगी के बारे में यह पाया जाए कि वह अपने सेवाकाल में, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियोजन करने पर की गई सेवा भी है, गंभीर अवचार या उपेक्षा का दोषी रहा है, दे सकेगा:

परन्तु इस उपनियम के अधीन राष्ट्रपति द्वारा कोई भी अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा:

परन्तु यह और कि जहां पेंशन का कोई भाग रोक लिया जाए या प्रत्याहृत किया जाए, वहां ऐसी पेंशन की रकम नियम 44 के अधीन न्यूनतम पेंशन की रकम से नीचे कम नहीं की जाएगी।";

(ii) उपनियम (2) में, -

(क) खंड (क) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्: -

"परंतु जहां कि विभागीय कार्यवाहियां उपनियम (1) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा संस्थित की जाए, वहां वह प्राधिकारी अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करते हुए एक रिपोर्ट उक्त सक्षम प्राधिकारी को देगा।";

(ख) खंड (ग) में, दोनों स्थानों पर आने वाले "राष्ट्रपति" शब्द के स्थान पर, "उपनियम (1) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(iii) उपनियम (4) में, खंड (घ) में, "उपनियम (9)" शब्द, कोष्ठक और अंक के स्थान पर, "इस नियम के स्पष्टीकरण" शब्द रखे जाएंगे;

(iv) उपनियम (6) में, "राष्ट्रपति" शब्द के स्थान पर, "उपनियम (1) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(v) उपनियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(6क) (क) इस नियम के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किए गए किसी भी आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

(ख) राष्ट्रपति से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा उपनियम (1) के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील राष्ट्रपति को की जा सकेगी और राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके अपील पर ऐसे आदेश पारित करेगा, जो वह उपयुक्त समझे।"

3. उक्त नियमों के नियम 20 में, स्पष्टीकरण 1 में, खंड (ii) में, "वापस करना अपेक्षित नहीं होगा" शब्दों के स्थान पर "वापस करना होगा" शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 46 में, उपनियम (5) में, खंड (क) में, "के परंतुक" शब्दों का लोप किया जाएगा।

5. उक्त नियमों के नियम 50 में, उपनियम (9) में, खंड (ज) में, उपखंड (iii) में,-

(i) "खंड (ङ)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर, "खंड (ज)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगें;

(ii) परंतुक में, "खंड (घ)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर, "खंड (छ)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

6. उक्त नियमों के नियम 76 में, "(5) पेंशन संदाय आदेश के जारी किए जाने का तथ्य" से शुरू होने वाले कोष्ठक, अंक और शब्दों के स्थान पर, "(5क) पेंशन संदाय आदेश के जारी किए जाने का तथ्य" कोष्ठक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगें।

[फा. सं. 38/41/2019-पी&पीडब्ल्यू(ए)]

संजीव नारायण माथुर, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) संख्यांक सा.का.नि. 868(अ), तारीख 20 दिसम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

Generated from eOffice by RAMESH CHANDRA SETHI, DoPPW-DS-(RCS), DEPUTY SECRETARY, PPW on 11/10/2022 03:40 PM

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Pension and Pensioners' Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2022

G.S.R. 770(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Central Civil Services (Pension) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 (hereinafter referred to of the said rules), in rule 8,–

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely: –

"(1) (a) The President, in the case of a pensioner who retired from a post for which the President is the appointing authority;

(b) the Secretary of the Administrative Ministry or Department, in the case of a pensioner who retired from a post for which an authority subordinate to the President is the appointing authority; and

(c) the Comptroller and Auditor-General of India, in the case of a pensioner who retired from the Indian Audit and Accounts Department, from a post for which an authority subordinate to the President is the appointing authority.

may, by order in writing, withhold a pension or gratuity, or both, either in full or in part, or withdraw a pension in full or in part, whether permanently or for a specified period, and order recovery from a pension or gratuity of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Government, if, in any departmental proceedings or judicial proceedings, the pensioner is found guilty of grave misconduct or negligence during the period of service, including service rendered upon re-employment after retirement :

Provided that the Union Public Service Commission shall be consulted before any final orders is passed by the President under this sub-rule:

Provided further that where a part of pension is withheld or withdrawn, the amount of such pension shall not be reduced below the amount of minimum pension under rule 44.";

(ii) in sub-rule (2), –

a. in clause (a), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: –

"Provided that where the departmental proceedings are instituted by an authority subordinate to the authority competent to pass order under sub-rule (1), that authority shall submit a report recording its findings to the said competent authority.";

b. in clause (c), for the word "President" occurring at both the places, the words, brackets and figure "authority competent to pass order under sub-rule (1)" shall be substituted;

(iii) in sub-rule (4), in clause (d), for the word, brackets and figure "sub-rule (9)", the words "Explanation to this rule" shall be substituted;

(iv) in sub-rule (6), for the word "President", the words, brackets and figure "authority competent to pass order under sub-rule (1)" shall be substituted;

(v) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely: –

"(6A) (a) No appeal shall lie against any order made by the President under this rule.

(b) An appeal against an order under sub-rule (1), passed by an authority other than the President, shall lie to the President and the President shall, in consultation with the Union Public Service Commission, pass such orders on the appeal as he deems fit."

Generated from eOffice by RAMESH CHANDRA SETHI, DoPPW-DS-(RCS), DEPUTY SECRETARY, PPW on 11/10/2022 03:40 PM

3. In rule 20 of the said rules, in Explanation-1, in clause (ii), for the words "was not required to be refunded", the words "was to be refunded" shall be substituted.

4. In rule 46 of the said rules, in sub-rule (5), in clause (a), the words "proviso to" shall be omitted.

5. In rule 50 of the said rules, in sub-rule (9), in clause (h), in sub-clause (iii),-

(i) for the word, brackets and letter "clause (e)", the word, brackets and letter "clause (h)" shall be substituted;

(ii) in the proviso, for the word, brackets and letter "clause (d)", the word, brackets and letter "clause (g)" shall be substituted.

6. In rule 76 of the said rules, for the brackets, figure and words "(5) The fact of the issue", the brackets, figure and words "(5A) The fact of the issue" shall be substituted.

[F. No. 38/41/2019-P&PW(A)]

SANJIV NARAIN MATHUR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 868(E), dated the 20th December, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Generated from eOffice by RAMESH CHANDRA SETHI, DoPPW-DS-(RCS), DEPUTY SECRETARY, PPW on 11/10/2022 03:40 PM